

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालोतरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) शेखा

पीठासीन अधिकारी :- सहायक कलक्टर बालोतरा

भीमराम उनवान
बनाम गोरखराम

दावा बाबत बालोतरा

मुकदमा नम्बर :- 57/2017

निर्णय दिनांक :- 10/05/2018

वादी की ओर से भीमराम की व प्रतिवादी की ओर से गोरखराम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10-05-18 को भागीरथ राम (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तहसीलदार पंचपदरा की ओर से उल्लूक विभाजन प्लान
मौका फर्द व नक्शा अनुसार वादी व प्रतिवादी गणों का
प्रदर्शित रंग अनुसार प्राथमिक डिक्री में घोषणा अनुसार
रक व हिस्सा के बंटवारे की अंमलदरामद तहसीलदार पंच
पदरा कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया
जाता है। संलग्न मौका फर्द व नक्शा डिक्री का भाग (अंग) रहेगा।
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहम करेंगे।

यह आज तारीख 10/5/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट केम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा केम्प-2018
पदेन सहायक कलक्टर

नाम वरुण डी प्रिन्सपल आविड

विना हपागड एड पधरका

पेमाका ११ : २०१०



(प्राथमिक रूप)
 कृषि विभाग, जेठ अक्टोबर / वरुण डी प्रिन्सपल
 आविड, जेठ अक्टोबर / वरुण डी प्रिन्सपल
 आविड, जेठ अक्टोबर / वरुण डी प्रिन्सपल

२५ लक्ष धरिमा
 साइरी कुश्याव किराडुजाडी

गोप्य
 १०-०५-२०१८
 प. धुवली

५ २९/०२

अरि सोनी

मनिग मण्ड

अरि सोनी

वारी
 मीपाराम

कुश्याव

कुश्याव
 कुश्याव

गोश्वराम

मिना

मीपाराम

केसराम

अरि
 केसराम

२९/०२
 एस

गोप्य
 १०-०५-२०१८
 प. धुवली

केसराम
 १०/५/१८
 एडर कजाका

(कुश्याव)
 तहसील प्रचपदरा